(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 695–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–2–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 250/2004–05/अपील

.....

रूपसिंह पुत्र गेंदालाल
निवासी पिछोर तहसील डबरा जिला ग्वालियर
हाल निवासी हनुमान बांध रोड, तारागंज लश्कर
ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–महिला पार्वती पत्नी भगवानसिंह
2–कु0सीमा नाबालिग पुत्री स्व.श्री भगवानसिंह
सरपरस्त मॉ पार्वती
3–कु0गुड्डी नाबालिग पुत्री स्व.श्री भगवानसिंह
सरपरस्त मॉ पार्वती
4–प्रकाश नाबालिग पुत्र स्व.श्री भगवानसिंह
सरपरस्त मॉ पार्वती
5–गोविंद नाबालिग पुत्र स्व.श्री भगवानसिंह
सरपरस्त मॉ पार्वती
निवासीगण ग्राम जरगांव तहसील डबरा
जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री बी0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जरगांव स्थित भूमि सर्वे नम्बर 690 रकबा 16 विस्वा, सर्वे नम्बर 691 रकबा 10 बीघा 13 विस्वा, रकबा 692 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि धन्ना के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि के 1/2 भाग पर विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–1–1982 को आदेश पारित कर नामान्तरण आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–9–1984 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । तत्पश्चात् प्रश्नधीन भूमि की वसीयत भूमिस्वामी धन्ना द्वारा भगवानसिंह के नाम की गई और नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 33 पर दिनांक 15–9–1993 को वसीयत के आधार पर भगवानसिंह का नामान्तरण स्वीकृत हुआ । तहसील के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–12–2003 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–2–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है और पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण पंजी पर आदेश पारित किया गया है जबकि वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश

नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वसयीत को साक्षियों से प्रमाणित किया जाना होता है, उनके द्वारा तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष जिन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है, उन्हीं आधारों पर पूर्व में प्रस्तुत अपील दिनांक 26–9–1984 को आदेश पारित कर निरस्त हो चुकी है और उक्त आदेश को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में पुनः उन्हीं आधारों पर अपील कर प्रस्तुत करना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर